संख्या–15 / बि0स0से0–20–08 / 2018.....2367.../ सा0प्र0

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

–::: संकल्प :::–

पटना–15, दिनांक 12/07/2019

विषय :– सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त को वित्तीय उन्नयन हेतु पूर्व की सेवा की गणना के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं0–3590 दिनांक 24.07.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण होने के उपरांत ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के लिए अनुमान्य वेतन स्तर का स्पष्टीकरण पत्रांकः 8891 दिनांक 14.11.2017 के द्वारा निर्गत किया गया है।

2. इस स्पष्टीकरण की कंडिका 4(iv) में यह स्पष्ट किया गया है कि वैसे सचिवालय सहायक, जिन्हें दिनांकः 01.01.2016 के पूर्व प्रथम ए.सी.पी. रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित पी.बी.–2 ग्रेड पे 4800) के वेतनमान् में प्राप्त है तथा प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त कर चुके हैं। साथ हीं जिन्हें 20 वर्षों की सेवा के उपरांत द्वितीय एम.ए.सी.पी. पी.बी.–2 ग्रेड पे 5400 में दिनांकः 01.01.2016 के पूर्व प्राप्त, उन्हें दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से लेवल–11 में वेतन पुनरीक्षित होगा।

3. उपर्युक्त स्पष्टीकरण की कंडिका–4(vii) में बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा–14 (1)(ख) तथा बिहार सचिवालय सेवा (प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त) विनियमावली, 2009 की कंडिका–3 के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित प्रशाखा पदाधिकारियों की पूर्व की सेवा वित्तीय उन्नयन हेतु गणनीय नहीं है। अतः प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की तिथि से 10/20/30 वर्षों की सेवा पूरी होने के उपरांत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एम.ए.सी.पी. का लाभ ठीक उच्च वेतन स्तर में अनुमान्य होगा। यह इसलिए है कि बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 3, 2008) के द्वारा इसे नियुक्ति माना गया है।

4. उक्त प्रावधान के कारण सहायक के पद की सेवा अवधि के आधार पर द्वितीय एम.ए.सी.पी. प्राप्त वैसे प्रशाखा पदाधिकारी, जो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियमित प्रोन्नति पा चुके हैं, के वेतन निर्धारण में इस रूप में कठिनाई हो रही है कि इन

प्रशाखा पदाधिकारियों का वेतन, इनके समकक्ष एवं बाद में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत सहायकों से कम हो गया है। विभाग की राय में यह एक विसंगति है, जिसे दूर किया जाना न्यायोचित है।

5. इस संबंध में ए.सी.पी. नियमावली, 2003 की कंडिका 4(2) के प्रावधान निम्नवत् है:–

"सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किये ये चयन के आधार पर उच्चतर पद पर की गयी नियुक्ति स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ, सीधी नियुक्ति मानी जायेगी और निरन्तर वेतनमान् में की गयी सेवा की गणना नहीं की जायेगी, अगर सुसंगत भर्त्ती नियमावली में सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया हो,

परन्तु यदि सुसंगत भर्त्ती नियमावली में निरन्तर वेतनमान् के कर्मियों के लिए प्रोन्नति का कोटा किया गया हो तो ऐसी नियुक्ति को स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के प्रयोजनार्थ प्रोन्नति माना जायेगा और वित्तीय उन्नयन के लाभ का मंजूरी के लिए पूर्व सेवा की गणना की जायेगी।"

6. राज्य सरकार द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित प्रशाखा पदाधिकारियों के संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति का रोस्टर लागू करने के लिए गये निर्णय/विनिश्चय (Stand) के तहत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी.(सी.) सं0–25699/2015 दाखिल किया गया है, जो अभी विचाराधीन है। उक्त निर्णय के आधार पर वित्त विभाग को परामर्श दिया गया कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति का रोस्टर लागू करने का निर्णय/विनिश्चय (Stand) लिया गया है अर्थात इसे नियुक्ति माना गया है। यह विनिश्चय बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 3, 2008) एवं बिहार सचिवालय सेवा (प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त) विनियमावली, 2009 के अनुरूप भी है। पुनः यह भी कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त कर्मियों के लिए पूर्व की सेवा वैचारिक/वास्तविक रूप से सेवा की गणना, वित्तीय उन्नयन हेतु किये जाने का प्रावधान नहीं है।

7. उपर्युक्त कंडिका–4 में विमर्शित विसंगति को दूर करने के निमित्त बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 एवं बिहार सचिवालय सेवा (प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 2009 में किये गये प्रावधानों के

बावजूद सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त प्रशाखा पदाधिकारियों के वित्तीय उन्नयन हेतु उनकी पूर्व सेवा की गणना सहायक के पद पर नियुक्ति की तिथि से की जाय, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एस. एल.पी. (सी0)सं0–25699–2570/2015 में पारित आदेश से प्रभावित होगी। इन प्रशाखा पदाधिकारी से यह अंडरटेकिंग लिया जायेगा कि सरकार के पक्ष में निर्णय आने पर अधिक ली गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

12/7/19

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–20–08/2018 सा0प्र0 9367 **पटना, दिनांक** 12-7-19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/19

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–20–08/2018 सा0प्र0 9367 **पटना, दिनांक** 12-7-19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 09.07.2019 की बैठक में मद संख्या–05 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/19

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–20–08/2018 सा0प्र0 9367 **पटना, दिनांक** 12-7-19

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक का कार्यालय/महाधिवक्ता का कार्यालय/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/19

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–15 / बि0स0से0–20–08 / 2018 सा0प्र0 9367 पटना, दिनांक 12-7-19

प्रतिलिपिः– प्रभारी सचिव, वित्त (वै0दा0व0नि0 कोषांग) विभाग, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/19

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–15 / बि0स0से0–20–08 / 2018 सा0प्र0 9367 पटना, दिनांक 12-7-19

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (स्था0), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–16 एवं 17, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/19

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–15 / बि0स0से0–20–08 / 2018 सा0प्र0 9367 पटना, दिनांक 12-7-19

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/7/19

सरकार के अवर सचिव